बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत (i) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (ii) औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड/शेड पर दी जाने वाली अनुदान (iii) तकनीकी जानकारी शुल्क पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता (iv) पूंजीगत अनुदान (v) गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 में संशोधन।

1— उक्त संकल्प संख्या—2437 दिनांक 15.07.2011 के कंडिका—(17) के बाद निम्नलिखित दो नई उप कंडिकाएँ— (17 क) एवं (17 ख) अन्तःस्थापित की जाएगी:—

"(17 क) औद्योगिक इकाइयों में स्थापित होने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी के अतिरिक्त उत्पादन में सीधे तौर पर उपयोग होने वाले सभी इक्युपमेन्ट पर पूँजीगत अनुदान देय होगी, जिनके कय हेतु किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Audited Books of Accounts या Statutory auditor के रिपोर्ट में पूँजीगत व्यय (Capital expenditure) के रूप में दर्शाया गया हो एवं वैसे सामग्रियों पर किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Profit & Loss Accounts में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के तौर पर दावा नहीं किया गया हो और उस पर Chartered Accountant की संपुष्टि आवश्यक है।

(17ख) नई इकाइयों को भी विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करने पर इन्क्रीमेन्टल उत्पादन पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका—2 एवं कंडिका—3 में वर्णित नई इकाईयों को अनुमान्य सुविधाएँ देय होंगी किंतु पूँजीगत अनुदान के मद में बृहत् उद्योगों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2.5 (दो दशमलव पॉच) करोड़ रू0 तथा एम0एस0एम0ई0 की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 1.25 (एक दशमलव दो पॉच) करोड़ रू0 पूँजीगत अनुदान देय होगा।"

2— उक्त संकल्प संख्या—2437 दिनांक 15.07.2011 के कंडिका—(18) में उल्लिखित विहित पपत्र (परिशिष्ट—I) एतद द्वारा संशोधित किया जाता है जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है और यह इस प्रकिया का अंश माना जाएगा।

3— उक्त संकल्प संख्या—2437 दिनांक 15.07.2011 इस हद तक संशोधित होगा एवं संकल्प की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

4— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं0—09, दिनांक—05.01.15 के निर्गत होने की तिथि 05.01.2015 के प्रभाव से उपर्युक्त संशोधन प्रभावी है।

अनुलग्नक— परिशिष्ट—I

11/06/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–984/पटना, दिनांक :11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह० 11/06/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–984/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015
प्रतिलिपि : सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

ह० 11/06
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–984/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015
प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रमोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/06
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 984 /पटना, दिनांक– 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015
प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह० 11/06/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–I

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड/शेड पर दी जाने वाली अनुदान, तकनीकी जानकारी शुल्क पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता, पूंजीगत अनुदान एवं गुणवत्ता अनुदान प्राप्ति हेतु

समेकित आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,
बियाडा, पटना।
निदेशक,
तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
....

(क) आवेदक के इकाई की विवरणी :–

(1) इकाई का नाम :–
पता : कार्यालय :–
कार्यस्थल :–

(2) इकाई के स्वत्वाधिकारी/साझेदारी/निदेशक/प्रबंध निदेशक का नाम एवं पूरा पता :–

(3) उद्यमी ज्ञापन पार्ट –II/ आई0ई0एम0, पार्ट 'बी'/ बृहत् प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाई के लिए निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से संबंधी पत्र/ स्थायी निबंधन सं0 एवं तिथि :–

(4) उत्पादित वस्तु का नाम :–

(5) इकाई की उत्पादन तिथि :–

(6) कंपनी निबंधन का विवरण :–
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)

(7) कंपनी निबंधन के तहत कार्य सम्पन्न करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम:–
(प्राधिकृत पत्र संलग्न)

(8) वैट/सी.एस.टी. निबंधन सं. एवं तिथि :–

(9) (i) दूरभाष–
(ii) ई–मेल पता:–

(10) कुल पूंजी निवेश :–
(i) भूमि–
(ii) भवन–
(iii) संयंत्र एवं मशीनरी–

(iv) कार्यशील पूँजी–

(11) निवेश के स्त्रोत :–

(12) इकाई का उत्पादन वंचित सूची (परिशिष्ट–II) में शामिल है अथवा नहीं :–

(13) इकाई का वर्गीकरण– सूक्ष्य ☐ लघु ☐ मध्यम ☐ वृहत ☐ अति वृहत ☐

(14) रोजगार :–

(i) प्रबंधकीय –

(ii) पर्यवेक्षकीय –

(iii) अर्द्धकुशल/अकुशल –

(ख) अनुदान दावा से संबंधित विवरणी एवं आवश्यक कागजात :–

(1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :– संलग्न है या नहीं

(i) परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने वाले परामर्शी का नाम एवं पूरा पता–

(ii) यदि परियोजना प्रतिवेदन उद्योग विभाग से मान्यता प्राप्त परामर्शी/उद्योग मित्र द्वारा तैयार किया गया है तो उसका पत्रांक एवं दिनांक–
(पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना आवश्यक)

(iii) परामर्शी द्वारा लिए गए परियोजना शुल्क की राशि–
(शुल्क प्राप्ति रसीद संलग्न करें)

(iv) अनुदान दावा की राशि –

(v) अनुलग्नक:– – परियोजना प्रतिवेदन की अनुमोदित प्रति
– भुगतान की गई शुल्क प्राप्ति रसीद
– परामर्शी का निबंधन प्रमाण पत्र

(2) भूखण्ड/शेड पर दी जाने वाली अनुदान :

(i) औद्योगिक क्षेत्र का नाम –

(ii) आवंटित भूखण्ड/शेड की विवरणी–

(a) मौजा का नाम/थाना नं.–

(b) खाता सं.–

(c) खेसरा सं.–

(d) प्लॉट नं./भूखण्ड सं.–

(e) क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)–

(f) चौहद्दी :– उत्तर–
दक्षिण–
पूर्व –
पश्चिम–

(iii) कुल आवंटित भूमि का मूल्य–

(iv) भूमि/शेड का आवंटन पत्र का पत्रांक/दिनांक–

(v) आवंटित भूमि के लिए भुगतान की गई राशि–

(vi) भूखण्ड/शेड पर दी जाने वाली अनुदान दावा की राशि–

(vii) अनुलग्नकः– –भूमि आवंटन पत्र
–भूमि प्राप्ति प्रमाण पत्र
–मनी रसीद/अन्य प्रमाण पत्र
– लीज एग्रीमेंट

(3) तकनीकी जानकारी शुल्क पर अनुदानः–

(i) तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने वाले संस्थान/संगठन का नाम –

(ii) प्राप्त तकनीकी जानकारी की संक्षिप्त विवरणी–

(iii) संस्थान/संगठन द्वारा लिया गया शुल्क–

(iv) तकनीकी जानकारी शुल्क पर अनुदान दावे की राशि–

(V) अनुलग्नक– –शुल्क की प्राप्ति रसीद
–तकनीकी जानकारी की संक्षिप्त विवरणी

(4) पूंजीगत अनुदान :–

(i) (क) क्रय की गई संयंत्र एवं मशीनरी का विवरणी (सभी कर सहित)

नाम	राशि

नोट – यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट संलग्न करें।

(ख) क्रय की गई सभी इक्युपमेन्ट का विवरणी जो उत्पादन में सीधे तौर पर उपयोग हो (सभी कर सहित)(यह प्रावधान दिनांक 05.01.15 से प्रभावी है)

नाम	राशि

नोट – यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट संलग्न करें।

(ii) अनुदान के दावे की राशि –

(iii) अनुलग्नक– –क्रय की गई संयंत्र एवं मशीनरी का इनभाइस
–उत्पादन में सीधे तौर पर उपयोग होने वाले सभी इक्युपमेन्ट का इनभाइस
–अन्य प्रमाणक (परिवहन चालान/बैंक ड्राफ्ट/चेक/मनी रसीद)
– चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रमाणक

(5) **गुणवत्ता प्रमाणन अनुदानः –**

(i) गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले संस्थान/संगठन का नाम एवं पता

(ii) गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भुगतान किया गया शुल्क–

(iii) अनुदान के दावे की राशि–

(iv) अनुलग्नक– –गुणवत्ता प्रमाण पत्र
–भुगतान की गई शुल्क की प्राप्ति रसीद

(6) **उपरोक्त सभी अनुदानों की कुल राशि :–**
(अधिकतम छः सौ लाख रूपये परंतु 500 करोड़ रू. से अधिक पूंजी निवेश के मामले में पूंजीगत अनुदान की अधिकतम अनुमान्य राशि 30 करोड़ रू. होगी)।

घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी में दिये गये उपरोक्त विवरण एवं तथ्य सही है। यदि इसके बावजूद कोई तथ्य या विवरण गलत/असत्य पाया जाता है तो मेरे उपर उद्योग विभाग द्वारा लिए गये निर्णय मुझे मान्य होगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यह अनुदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सहयोगी संस्था से पूर्व में नहीं लिया गया है।

यह भी घोषणा करता हूँ कि क्रमांक 1 से 5 तक का कुल अनुदान राशि निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत है।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

अन्य आवश्यक अनुलग्नकः–

(i) उद्यमी ज्ञापन– II/आई0ई0एम0, पार्ट 'बी'/ बृहत् प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाई के लिए निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से संबंधी पत्र/ स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र/विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण योजना की स्वीकृति।

(ii) इकाई का परियोजना प्रतिवेदन

(iii) बिक्री कर क्लियरेन्स प्रमाण पत्र

(iv) शपथ पत्र – इकाई द्वारा यह घोषणा कि भूखण्ड/शेड अथवा संयंत्र एवं मशीनरी, जिसके लिए अनुदान का दावा किया गया है, का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाएगा और इकाई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बगैर स्थापना की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक बिक्री, हस्तांतरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित सूद सहित उद्योग विभाग को वापस करूँगा।